<u>समाचार–प्रकाशनार्थः–</u>

विधायक मा0 श्री काश्यप द्वारा प्रतिदिन पेयजल वितरण का शुभारंभ
कस्तुरबा नगर टंकी के 2 झोन में प्रतिदिन जलप्रदाय प्रारंभ

रतलाम 14 दिसंबर । हर घर में नल हो और नल से प्रतिदिन पानी मिले,प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान के सपने को प्रतिदिन जल वितरण की पुनः शुरुवात कर हम आज पुरा करने जा रहे हैं।

उक्त उद्गार विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य काश्यप् ने कस्तुरबा नगर टंकी पर कस्तुरबा नगर के 2 झोन के क्षेत्रों में प्रतिदिन पेयजल वितरण कार्य के शुभारम्भ अवसर पर व्यक्त किये। उन्होने कहा कि नगर के नागरिकों को 20–25 वर्ष पहले प्रतिदिन पेयजल मिलता था, इसके बाद एक दिन छोड़कर एक दिन पेयजल वितरण का कार्य किया जाता रहा है। प्रतिदिन पेयजल वितरण किये जाने हेतु कोई कदम ना उठने पर यह एक सपना हीं रह गया था।

विधायक माननीय श्री काश्यप ने कहा कि रतलाम नगर की पेयजल व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु यूआईडीएसएसएमटी योजना के तहत 2040 तक के मान से व्यवस्था की गई थीं,किन्तु इससे पेयजल व्यवस्था में सुधार ना होकर समस्या जस की तस बनीं हुई थीं।

श्री काश्यप ने कहा कि पेयजल वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए तीन पेयजल टंकियों व सम्वेलो का निर्माण कराया गयाद्य साथ ही पाईप लाईन विहिन क्षेत्रों में 160 किलोमीटर से अधिक पेयजल पाईप लाईन बिछाये जाने का कार्य मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजनान्तर्गत कार्य करवाया गया,तब जाकर नगर की पेयजल व्यवस्था में सुधार हुआ।

उन्होने कहा कि आज हम कस्तुरबा नगर टंकी के दोनो झोन के क्षेत्रों में प्रतिदिन पेयजल वितरण की शुरूआत कर रहे है, शीघ्र ही हम पुरे रतलाम शहर में प्रतिदिन पेयजल वितरण किये जाने का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है।

जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड ने कहा कि नगर के नागरिकों को प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु नगर निगम द्वारा तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा इसकी शुरूआत कर दी गई है नागरिकों का भी कर्तव्य है कि प्रतिदिन पेयजल वितरण होने पर वे पानी का भण्डारण ना करें, पानी का अपव्यय ना करें, जल है तो कल है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने इस अवसर प्रतिदिन पेयजल वितरण की कार्ययोजना से अवगत कराते हुए कहा कि पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु विभिन्न स्तरों कार्य किये गये हैं जिसके तहत रतलाम जल शक्ति अभियान व्हाट्स एप ग्रुप बनाया जाकर उसके माध्यम से पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज का कार्य तीव्र गति कार्य किया जा रहा

है। सांसद रतलाम झाबुआ माननीय श्री गुमान सिंह डामोर, विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप, संभागीय आयुक्त श्री आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, संभागीय मैनेजिंग डायरेक्टर श्री पुनीत दुबे, चीफ इंजीनियर मध्यप्रदेश विघुत वितरण कम्पनी इंदौर के लगातार प्रयासों तथा निर्देश व मार्गदर्शन के तहत अधीक्षण यंत्री मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी रतलाम श्री सोनी व उनकी टीम द्वारा पावर कट व विद्युत फाल्ट के कार्य में तेजी से सुधार किये जाने के परिणामस्वरूप प्रतिदिन जलप्रदाय किये जाने हेतु अग्रसर हुए हैं।

प्रारंभ में विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, पूर्व निगम अध्यक्ष श्री अशोक पोरवाल, झुग्गी झोपड़ी प्रकोश्ट की प्रदेष सह संयोजक श्रीमती अनिता कटारिया, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष श्री बजरंग पुरोहित, भाजपा जिला महामंत्री श्री प्रदीप उपाध्याय, श्री मनोहर पोरवाल, मण्डल अध्यक्ष सर्वश्री मयूर पुरोहित, कृश्ण कुमार सोनी, कर्णधीर बड़गोत्या, पूर्व पार्शद सर्वश्री अरूण राव, प्रहलाद पटेल, पवन सोमानी, श्रीमती मनीशा षर्मा, श्रीमती सीमा टांक, श्रीमती सोना षर्मा, श्रीमती अनिता कटारा, पूर्व मण्डल अध्यक्ष श्री दिनेष षर्मा, श्री संतोश पोरवाल, के अलावा श्री राकेष परमार, श्री मनोज षर्मा, श्री बंटी षर्मा, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाष आचार्य, सहायक यंत्री श्री ष्याम सोनी, उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडित, मनीश तिवारी, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह आदि के द्वारा टंकी का वॉल्व खोलकर प्रतिदिन पेयजल वितरण कार्य का षुभारंभ किया गया। तत् पष्चात निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने आमंत्रित अतिथियों को पुश्प गुच्छ भेंटकर स्वागत किया।

कार्यक्रम का संचालन कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यास ने किया व आभार निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने माना।

डोसी गांव में विधायक निधि से बनेगा नवीन सांस्कृतिक भवन विधायक मा0 श्री काश्यप ने किया कार्य का भूमि पूजन

रतलाम 14 दिसम्बर। डोसी गांव जो कि रतलाम नगर के वार्ड में शामिल है किन्तु शहर से कुछ दूरी पर होने से यह क्षेत्र कुछ वर्ष पहले तक विकास से उपेक्षित था,अब यहां निरंतर विकास हो रहा है इसी कढ़ी में अब यहां नवीन सांस्कृतिक भवन बन रहा है।

उक्त उद्गार विधायक रतालम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप ने डोसी गांव में पेयजल टंकी के पास की भूमि पर विधायक निधी से निर्मित किये जाने वाले सांस्कृतिक भवन के भूमि पूजन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किये। उन्होने कहा कि कि नगर विकास हेतु जो भी योजनाऐं बनती नगर के मध्य क्षेत्र को लेकर बनती है किन्तु

नगर का विस्तार बाहरी क्षेत्रों से होता है। अब नगर विकास हेतु बाहरी क्षेत्रों को सम्मिलित कर कार्ययोजनाऐं बनानी होगी। वर्तमान समय में गरीब एवं मध्यम वर्ग के छोटे–मोटे सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने में काफी परेशानी उठाना पड़ती है, डोसी गांव रतलाम नगर से कुछ दूरी पर होने से सांस्कृतिक एव अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने में नागरिकों को काफी परेशानी होती है उनकी परेशानियों निदान हेतु सांस्कृतिक भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है ताकि वे सुविधा पूर्वक अपने कार्यक्रम आयोजित कर सकें।

उन्होने कहा कि डोसी गांव के सांस्कृतिक भवन हेतु 1 बड़ा हॉल, 2 कमरे निर्माण, भोजन निर्माण हेतु शेड बनाये जाने के साथ ही उपलब्ध भूमि की बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य भी कराया जायेगा। इस अवसर पर नागरिकों की मांग पर डोसीगांव के स्कूल को हायर सेकेण्डरी करवाये जाने हेतु आश्वस्त किये जाने के साथ ही डोसीगांव का नया नाम रखने हेतु नागरिकों से प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कहा।

भाजपा जिला महामंत्री श्री मनोहर पोरवाल ने कहा कि विधायक माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप की विकासशील सोच के रहते डोसीगांव अब विकास से अछूता नहीं है। अब इस क्षेत्र में सड़क, पेयजल पाईप लाईन, पेयजल टंकी आदि सभी की सुविधा उपलब्ध है साथ ही आज नवीन सांस्कृतिक भवन निर्माण की सौगात मिलने जा रही है। इस अवसर पर पूर्व पार्षद श्री राजेन्द्र वर्मा, मण्डल अध्यक्ष श्री आदित्य डागा आदि ने भी सम्बोधित किया।

प्रारंभ में विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप, भाजपा जिला महामंत्री श्री मनोहर पोरवाल, पूर्व निगम अध्यक्ष श्री अशोक पोरवाल, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ट की प्रदेश सह संयोजक श्रीमती अनिता कटारिया, मण्डल अध्यक्ष सर्वश्री आदित्य डागा, कृष्ण कुमार सोनी, कर्णधीर बडगोत्या, मयूर पूरोहित के अलावा सर्वश्री राजेन्द्र वर्मा, इब्राहिम शैरानी, योगेश केथवास, दिनेश पटेल, मनोज शर्मा, राकेश परमार, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, उपयंत्री श्री राजेन्द्र मिश्रा आदि ने विधिवत् पूजा–अर्चना कर निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया।

कार्यक्रम का संचालन श्री मनोज शर्मा ने किया व आभार श्री योगेश केथवास ने माना।

स्वच्छता से मन में सकारात्मक विचार आते है

स्वच्छता सर्वेक्षण–2021 के तहत शहर के सैकड़ों कचरा मुक्त स्थलों पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का दिया जा रहा है संदेश

रतलाम 14 दिसम्बर । नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छता भक्ति के समान है स्वच्छता का अभ्यास करना एक बहुत अच्छी आदत है और हमें अपने शरीर, मन और आत्मा को स्वच्छ और शांतिपूर्ण रखकर जीवन के हर क्षेत्र में अच्छाई की ओर ले जाती है।

स्वस्थ शरीर और मन और जीवन में अंतिम सफलता प्राप्त करना हम सभी के लिए स्वच्छ होना बहुत अनिवार्य है। हमारे घर के आसपास की स्वच्छता

को बनाए रखना स्वस्थ जीवन का अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि यह केवल स्वच्छता है जो बाहरी और आंतरिक रूप से स्वच्छ रखकर हमारे व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद करती है।

स्वच्छता सभी की जिम्मेदारी है और उन्हें अपने और अपने आसपास की स्वच्छता को बनाए रखने की आवश्यकता है। स्वच्छ वातावरण जहां हमें डॉक्टरों से दूर रखता है वहीं चिकित्सा खर्च और समय की हानि से बचाता है। स्वच्छता से मन में अच्छे और सकारात्मक विचार आते हैं जो रोगों की घटना को धीमा करता है

रतलाम को प्रदेश और देश में अलग पहचान दिलाने के लिए नगर पालिक निगम ने स्वच्छ रतलाम– सुंदर रतलाम अभियान की शहर में शुरुवात करते हुए सैकड़ों स्थानों को कचरे से मुक्त किया है। इन कचरा स्थलों पर हर दिन सफाई मित्र समूह के सदस्य आकर्षक रांगोली का निर्माण कर तमाम लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे है। इस मौके पर रहवासियों और राहगियों को संकल्प दिलाया जा रहा है कि मेरा योगदान, मेरी शान, स्वच्छ शहर मेरी पहचान है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानों, बागीचों, खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर–1 बनाने का आव्हान लोगों से किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डाले। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
नगर निगम आयुक्त सोमनाथ के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान सोमवार को सफाई मित्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया है। इस दौरान कोविड–19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए लोगों से आव्हान किया गया कि जब तक कोरोना का कारगर उपचार उपलब्ध नहीं हो पाता है. ऐसे में हमे मास्क का उपयोग, दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।

गंदगी फैलाने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर 26 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 14 दिसम्बर । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरो से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां–वहां डालकर नगर को गंदा करते है ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे है ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सतत निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गंदगी, मलबा फैलाने व अतिक्रमण करने पर दिनेश राठौर, जीवन प्रजापति पर 1000–1000, राकेश पर 500 व भवानी बाजना बस स्टैण्ड पर 250, इसी तरह बाजना बस स्टैण्ड व सागोद रोड क्षेत्र में 22 सब्जी विक्रेताओं द्वारा गंदगी करने पर 50–50 रूपये का जुर्माना किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 14 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल–सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिशठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000–5000 हजार का जुर्माना करेगी।

पैलेस रोड पर आज से लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

बकाया राशि जमा कर अधिभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें

नागरिकों ने 37,05,253/– संपत्तिकर व 10,83,275/– जलकर जमा कराया

संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कराने में नागरिक दिखा रहे हैं उत्साह

रतलाम 14 दिसम्बर । शासन निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमी, उद्योग–धन्धे में गिरावट, सर्विस सेक्टर आदि में शिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करों, उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर अधिभार (पेनल्टी) में 31 दिसम्बर 2020 तक छूट दी जा रही है। इस हेतु नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों की बकाया राशि जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 26 अक्टूबर से आयोजित किये गये है जो 30 दिसम्बर तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकर, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू–भाटक की बकाया राशि एक मुश्त राशि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ ले सकते है।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,224/– व जलकर 43,460/–, मालवा नगर शिविर में संपत्तिकर 3,66,429/– व जलकर 43,830/–, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 2,69,336/– व जलकर 41,850/–, विनोबा नगर पानी की टंकी के पास शिविर में संपत्तिकर 3,94,652/– व जलकर 1,06,050/–, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल के पास शिविर में संपत्तिकर 4,54,616/– व जलकर 84,000/–, तिरूपति नगर में शिविर में संपत्तिकर 55,700/– व जलकर 14,800/–, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 65,133/– व जलकर 18,430/–, इन्द्रलोक नगर शिविर में संपत्तिकर 1,04,310/– व जलकर 37,520/–, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,63,070/– व जलकर 41,200/–, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 54,244/– व जलकर 31,700/–, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1,87,800/– व जलकर 13,500/–, हाट रोड माताजी मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 89,439/– व जलकर 29,500/–, डॉ0 मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2,23,843/– व जलकर 80,000/–, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 78,232/– व जलकर 24,800/–, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 95,424/– व जलकर 46,350/–, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 2,61,000/– व जलकर 45,500/–, लक्कड़पीठा शिविर में संपत्तिकर 2,58,000/– व जलकर 90,310/–, धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर 2,39,000/– व जलकर 1,58,845/–, आनन्द कालोनी शिविर में संपत्तिकर 94,633/– व जलकर 24,500/–, प्रताप नगर शिविर में संपत्तिकर 1,31,093/– व जलकर 68,580/–, महावीर नगर शिविर में जलकर 45,550/– की एक मुश्त बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ लिया। इस तरह नागरिकों ने अब तक

आयोजित शिविरों में 37,81,253/– संपत्तिकर व 10,83,275/– जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के तहत वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 15 से 16 दिसम्बर तक पैलेस रोड चौराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 17 दिसम्बर को चौगारिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 18 दिसम्बर को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 21 से 22 दिसम्बर को चौमुखी पुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 23 से 24 दिसम्बर को शास्त्री नगर सेन्ट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 26 व 28 दिसम्बर को दो बत्ती चौराहा व वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 29 से 30 दिसम्बर को स्टेशन रोड दिल बहार चौराहा पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि शासन द्वारा निगम से संबंधित करों की एक मुश्त राशि जमा कराने पर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ नागरिक अधिक से अधिक ले सकें इस हेतु वार्ड वार शिविर कार्यालयीन समय में लगाये जा रहे हैं। नागरिक अपने वार्ड में लगाये जा रहे शिविर में उपस्थित होकर बकाया करो की एक मुश्त राशि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ सकते है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिषत की छूट, संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट व संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अधिभार की राशि रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिषत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/– (दस हजार) से अधिक तथा रूपये 50,000/– (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/– (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20,000/– (बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20,000/– (बीस हजार) से 50,000/– (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 50,000/– (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याज, स्टॉप ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि संपत्तिकर, जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की बकाया राशि वार्डवार आयोजित बकाया शिविर व कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे है लीकेज दुरस्त

53 दिनों में 80 वॉल्व व 388 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 14 दिसम्बर । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 14 दिसम्बर तक 80 वॉल्व व 388 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

''रतलाम जलशक्ति अभियान'' व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 14 दिसम्बर सोमवार को सुदामा परिसर गली नम्बर 3, शास्त्री नगर वाजपेयी जी के घर के सामने, नूरी गेस्ट हाउस के सामने, दीनदयाल नगर पूर्व निगम अध्यक्ष श्री अशोक पोरवाल के सामने, काटजू नगर टावर के पास व दीनदयाल नगर ऑटो स्टैण्ड के सामने पाईप लाईन लीकेज तथा छत्रीपुल, दिवाकर ऑटो पार्ट्स के सामने, शैरानी पुरा, रत्नेश्वर रोड, विनोबा नगर, कस्तुरबा नगर त्रिवेदी आटा चक्की के सामने, टेलीफोन नगर में वॉल्व मरम्मत का कार्य करवाया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव, श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

नवीन हाईड्रोलिक केटल कैचर से पकड़े 14 मवेशी

स्वच्छंद विचरण करने वाले 400 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 14 दिसम्बर । रतलाम नगर को साफ–स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 12 अक्टूबर से 14 दिसम्बर तक 400 मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

नगर निगम द्वारा नवीन हाईड्रोलिक केटल कैचर क्रय किया गया है, नवीन हाईड्रोलिक कैटल कैचर से मवेशियों को पकड़ने में सुविधा होने के साथ समय भी कम लगता है व मवेशी भी आसानी से वाहन में चढ़ जाते है तथा उन्हे किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 12 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 14 दिसम्बर तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 400 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 14 दिसम्बर सोमवार को नगर विभिन्न क्षेत्रों से 14 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/— वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/14.12.2020/न.पा.निगम, रतलाम.